संख्या-270/XIV-1/2005

प्रेषक,

विभा पुरी दास,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन.

सेवा में,

1. सचिव, वन विभाग/लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/
पेयजल विभाग/लघु सिंचाई/ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा/
कृषि विभाग/पशुपालन विभाग/श्रम विभाग, उत्तरांचल शासन.
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल.

सहकारिता, अनुभाग:-1 देहरादून: दिनांक: 9th मई, 2005

विषय:- राज्य में निबन्धित श्रम एवं निर्माण संविदा सहकारी समितियों को बिना टेन्डर के निश्चित सीमा तक निर्माण कार्य आंवटन किया जाना.

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या- 222/XIV-1/2005, दिनांक 17 जुलाई, 2004 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा कतिपय शर्तों के तहत सहकारिता विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत श्रम सहकारी समितियों को बिना निविदा या कोटेशन मांगे प्राथमिकता के आधार पर रू0 1.00 लाख तक के निर्माण कार्य आंवटित किये जाए, परन्तु शासन के संज्ञान में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभिन्न विभागों द्वारा श्रम सहकारी समितियों को उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्य आंवटित नहीं किए जा रहे हैं जिस कारण स्थानीय बेरोजगारों को इन समितियों के माध्यम से रोजगार सृजन कराने में कठिनाईयां उत्पन्न हो रही है.

2. यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि इन समितियों को अधिकाधिक कार्य मिले ताकि स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में यह प्रक्रिया सहायक हो सके.

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के कई ऐसे कार्य है जिनके लिए संविदा आमंत्रित किए जाने के प्राविधान नहीं है, ग्रामीण रोजगार के कार्यक्रम ग्राम विकास विभाग तथा पंचायत राज विभाग द्वारा चलाये जाते है इन कार्यक्रमों में भी स्थानीय बेरोजगारों का बिना निविदा रोजगार प्रदान करने का प्राविधान है. ऐसे रोजगारों को भी श्रम सहकारी समितियों के सदस्यों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने वाले कार्यक्रमों का वास्तव में लाभ हो सके. अतः निविदा प्रणाली के अतिरिक्त अधिकाधिक कार्य भी श्रम सहकारी समितियों द्वारा कराया जाय.

4. उक्त शासनादेश के कार्यान्वयन हेतु यह भी आवश्यक है कि श्रम सहकारी समितियों द्वारा श्रम विभाग के विभिन्न अधिनियमों/शासनादेशों का भी अनुपालन किया जाय.

5. श्रम सहकारी समितियों को अधिकाधिक कार्य तथा स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में यह प्रक्रिया सहायक हो इस हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत समीक्षा समिति का गठन किया जाता है:-

(1) जिलाधिकारी-	अध्यक्ष,
(2) मुख्य विकास अधिकारी-	उपाध्यक्ष,
(3) सहायक निबन्धक,सहकारी समितियां-	संयोजक सचिव,
(4) (क) वन विभाग, लो0नि0विभाग,जल निगम जल संस्थान, ग्रामीण अभियन्त्रण, सिंचाई लघु सिंचाई, कृषि, ग्राम्य विकास तथा पशुपालन आदि विभागों के सर्वोच्च जिला स्तरीय अधिकारी-	सदस्य,
(ख) श्रम विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी-	सदस्य,
(ग) जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी-	सदस्य,
(घ) जिलाधिकारी द्वारा नामित श्रम समितियों के दो प्रतिनिधि (अधिकतम एक वर्ष के लिए)-	सदस्य

6. उक्त समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास में एक बार आहूत की जाए और त्रैमासिक प्रगति सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाय.

भवदीय,

(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव.

संख्या- 2704/तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निबन्धक/अपर निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तरांचल.
2. मुख्य वन संरक्षक उत्तरांचल.
3. मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण/सिंचाई/लघु सिंचाई /पेय जल एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा उत्तरांचल.
4. ग्राम्य विकास आयुक्त उत्तरांचल.
5. श्रम आयुक्त उत्तरांचल.
6. निदेशक नियोजन एवं पशुपालन विभाग उत्तरांचल.
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल.
8. समस्त उप निबन्धक/समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तरांचल.
9. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर उत्तरांचल.
10. गार्ड फाइल.

आज्ञा से

(नवीन चन्द शर्मा)
सचिव